अध्याय-पंचम

शोध सारांश,निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय पंचम

शोध सारांश, निष्कर्ष एवं सुझाव

किसी भी देश का विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है, इस लिए आज विश्व के समस्त देश शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में यह प्रावधान था कि "आगामी 10 वर्षो में 6 से 14 आयु वर्ग के समस्त बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाए।"

इस लक्ष्य को पाने के लिये शासकीय एवं अशासकीय प्रयासों के बाद मात्र 63 प्रतिशत साक्षरता दर प्राप्त की है। अभी भी बहुत अधिक बालक शिक्षा की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पायें।

विकलांग बालकों की शिक्षा केवल मानवतावादी आधारों पर गणना करनी होगी। इन्हें पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी। प्रखर बुद्धि और विकलांग बालक दोनों समाज के लिए उपयोगी हैं। अतः उनकी शिक्षा की ओर ध्यान देना आवयश्क है इस तरह सामाजिक दृष्टिकोण से भी इनकी शिक्षा की व्यवस्था करना न केवल आवश्यक है वरन महत्वपूर्ण है। आज के 25 लाख विकलांग बालक यदि उनकी कोई उचित शैक्षणिक तथा व्यावसायिक व्यवस्था न की गई तो जिदंगी भर समाज पर एक भार स्वरूप बने रहेंगे वे कोई भी उत्पादन कार्य नहीं कर पायेंगे और उल्टा समाज द्वारा उत्पादित सामग्री का उपयोग ही करेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कार्यान्वित करने के लिए बनाई गई कार्यवाही योजना में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकलांग बच्चों के लिए शैक्षणिक प्रावधानों के विस्तार की परिकल्पना की गई है। इस दृष्टिकोण से विकलांगों की शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था करना अत्यंत आवश्यक तथा महत्वपूर्ण है।

5.1 संक्षेपिका

प्रथम अध्याय में प्रस्तावना के अंतर्गत कोठारी आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986), विकलांग वर्ष आदि बिदुंओं के अंतर्गत् वर्णन किया गया है। विशेष विद्यालयों में शिक्षा, विकलांगता के प्रकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं विकलांगता 1981 की जनगणना के अनुसार विकलांग बालकों की संख्या, गुजरात राज्य में विभिन्न प्रकार के विकलांग बालकों की संख्या, विकलांगता अधिनियम 1995, समेकित शिक्षा, पदों की संकल्पना एवं परिभाषा तथा अध्ययन की आवश्यकता व महत्व का वर्णन किया है।

समस्या कथन *समेकित शिक्षा के संदर्भ में जूनागढ़ जिले के विशेष विद्यालयों का अध्ययन*

प्रस्तुत शोध हेतु निम्न उद्देश्यों को निर्धारित किया गया है:

1. विशेष विद्यालयों की गतिविधियों का अध्ययन करना।
2. विशेष विद्यालयों की भौतिक सुविधाओं का अध्ययन करना।
3. विशेष विद्यालयों में दिये जा रहे व्यावसायिक प्रशिक्षण का अध्ययन करना।
4. मानसिक एवं शारीरिक विकलांग बच्चों पर समेकित शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना।
5. दृष्टिहीन एवं विकृत अंगवाले बच्चों पर समेकित शिक्षा के प्रभाव का अध्ययन करना।

प्रस्तुत शोध के लिये 3 परिकल्पनाओं का प्रयोग किया गया :-

1. विशेष विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की कमी है।
2. विशेष विद्यालयों में विकलांग बालकों के लिये व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था उचित नहीं है।
3. विशेष विद्यालयों में चल रही गतिविधियों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है।

प्रस्तुत शोध को गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में 3 विशेष विद्यालयों तक सीमित रखा गया हैं।

द्वितीय अध्याय में शोध समस्या से संबंधित साहित्य का पुनरावलोकन किया गया जिसमें शोध समस्या से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित अध्ययनों की जानकारी दी गई है।

तृतीय अध्याय में संबंधित शोधकर्ता ने तीन विशेष विद्यालयों को चयनित किया है। न्यादर्श चयन केस स्टडी प्रपत्र विधि से किया, उपकरण के रूप में प्रश्नावली, साक्षात्कार, अवलोकन पद्धति का प्रयोग कर शोध सें संबंधित जानकारी प्राप्त की।

चतुर्थ अध्याय में प्रदत्तों का संकलन एवं व्याख्या विशेष विद्यालयों से संबंधित विभिन्न बिन्दुओं के अंतर्गत प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया तथा उद्देश्य के आधार पर परिकल्पना के सत्यापन की जाँच की गई ।

5.2 शोध निष्कर्ष

1. विकलांग बच्चों के लिये स्थापित दो विशेष विद्यालयों में आवश्यक सुविधायें प्रदान की जा रही हैं, परंतु एक विशेष विद्यालय (एम.पी.शाह सरकारी विकलांग शाला) में आवश्यक भौतिक सुविधाओं का अभाव पाया गया।
2. विशेष विद्यालयों में व्यावसायिक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था है।
3. विशेष विद्यालयों में चल रही गतिविधियों पर सामान्य रूप से ध्यान दिया जा रहा है।

5.3 शोध सुझाव

(I) विकलांग विद्यार्थियों की विशेष आवश्यकताओं के लिये विशिष्ट प्रावधान करके उन्हें शिक्षा जीवन की मुख्य धारा में लाने के प्रयास करना आवश्यक है :-

- सभी विशेष विद्यालयों में विकलांग बालकों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जैसे- भौतिक सुविधाएं छात्रावास, खेल का मैदान, पुस्तकालय, मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, व्यावसायिक प्रशिक्षण कक्ष कि सुविधायें सभी संस्थओं के द्वारा दी जा रही है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिये विशेष रूप से आवागमन हेतु वातावरण तैयार किया गया है।
- विकलांग व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु सप्ताह में एक बार सांस्कृतिक कार्यक्रम में खुद को अभिव्यक्ति करने का मौका दिया जाता है।
- विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को सामानय विद्यार्थियों के साथ शिक्षा प्रदान नहीं की जा रही इस हेतु उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ शिक्षा दी जानी चाहिए।

(II) विशेष विद्यार्थियों की विशिष्ट आवश्यकताओं के सन्दर्भ में विद्यालयों में कार्यरत सभी कर्मचारियों का निरंतर उन्मुखीकरण करना।

- विशेष विद्यालयों में विकलांग बच्चों के लिये शिक्षकों को प्रभावशाली ढंग से शिक्षा प्रदान करने के लिये नियमित शिक्षकों के लिये सघन शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाना चाहिये।
- विशेष, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों द्वारा रिसोर्स सपोर्ट दिया जाना चाहिए।
- विकलांग बच्चों का मूल्यांकन रिपोर्ट शैक्षिक कार्यक्रमों के निर्माण की दृष्टि से व्यापक होना चाहिये और बच्चा विशेष जाँच स्थिति में क्या कर सकता है और कया नहीं कर सकता है इस संबंध में पर्याप्त रिपोर्ट दी जानी चाहिये और उसके संबंध में शिक्षकों को बार-बार अवगत कराना चाहिए।

(III) शिक्षक-पालक को प्रभावी करना

- अभिभावकों एवं विशेषज्ञों की सलाह से विकलांग बच्चों के लिए वैयक्तिक शैक्षिक योजना वाले बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि के माध्यम से सूचक के विकास के बाद इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता को जाँचा जाना चाहिए।

- विकलांग बच्चों के पालकों को उन्हें उचित तरीके से सीखने के लिये प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- विकलांग बच्चों कि विशेष शिक्षा हेतु विशेष योजना के तहत सशक्त जागरूकता कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए।

5.4 भावी शोध हेतु सुझाव

भविष्य में शोध हेतु कुछ प्रस्तावित समस्याएँ अध्ययन के लिए ली जा सकती हैं। क्योंकि भारत में समेकित शिक्षा को उचित स्थान नहीं मिल पाया है। इस दिशा में शोधकर्ता के अनुसार भावी शोध हेतु कुछ महत्वपूर्ण समस्याएँ इस प्रकार हैं

1. नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में समेकन शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों की अभिवृति या चेतन की अधिक जागरूकता।
2. शिक्षकों का समेकित शिक्षा के प्रति अभिवृति अध्ययन
3. समेकित शिक्षा का विद्यार्थी के शैक्षिक स्तर पर प्रभाव
4. प्रशिक्षित व अप्रशिक्षित शिक्षकों का समेकित शिक्षा के प्रति धारणा का अध्ययन
5. समेकित शिक्षा कार्यक्रमों का अवलोकनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है
6. विशेष संस्थानों की कार्य प्रणाली का अनुवर्ती अध्ययन (क्लोजअप) किया जाये